कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा दिसंबर २०२१ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

I. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021

केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 की सं. 9) को प्रतिस्थापित करते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 दिनांक 13.12.2021 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमशः 09.12.2021 और 14.12.2021 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 की सं. 46) दिनांक 20.12.2021 को अधिसूचित किया गया था।

II. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2021

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 की सं. 10) को प्रतिस्थापित करते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021, दिनांक 03.12.2021 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमशः 09.12.2021 और 14.12.2021 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात, डीएसपीई (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 की सं. 45) दिनांक 20.12.2021 को अधिसूचित किया गया था।

III. अखिल भारतीय सेवा के मुद्दे

i. वेतन के अगले उच्च स्तर पर नियुक्त होने के लिए अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर) भरने को अनिवार्य करते हुए, आईएएस (वेतन) नियमावली, 2016 में संशोधन को दिनांक 30.12.2021 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

ii. वेतन के अगले उच्च स्तर पर नियुक्त होने के लिए अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर) भरने को अनिवार्य करते हुए, आईपीएस (वेतन) नियमावली, 2016 में संशोधन को दिनांक 30.12.2021 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

iii. वेतन के अगले उच्च स्तर पर नियुक्त होने के लिए अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर) भरने को अनिवार्य करते हुए, आईएफ़एस (वेतन) नियमावली, 2016 में संशोधन को दिनांक 30.12.2021 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

iv. झारखंड के आईएएस संवर्ग से संबंधित आईएएस (वेतन) नियमावली में संवर्ग पद संख्या का निर्धारण विनियम और संबंधित संशोधनों को दिनांक 31.12.2021 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

IV. प्रशिक्षण

i. एलबीएसएनएए में दिनांक 05.12.2021 से 96वां फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ, जिसमें भारत संघ की 16 सेवाओं के 478 प्रशिक्षु अधिकारी और रॉयल भूटान सिविल सेवा की तीन सेवाओं के 11 अधिकारी शामिल थे। इसमें 332 पुरुष अधिकारी और 157 महिला अधिकारी हैं।

ii. आजादी का अमृत महोत्सव - सुशासन सप्ताह समारोह के भाग के रूप में दिनांक 23 दिसंबर, 2021 को भीम सभागार, डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में 'मिशन कर्मयोगी –आगे का पथ' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक), डॉ जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। कार्यशाला के दौरान एसपीवी, के कार्यबल, उद्योग मानव संसाधन

पेशेवरों, सीबीसी, आईआईपीए और आईएसटीएम के विशेषज्ञों के पैनल द्वारा पांच वृत्तिक (प्रोफेशनल) सत्र आयोजित किए गए। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, सीटीआई और एटीआई के नोडल अधिकारियों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया।

iii. सुशासन सप्ताहः 20-25 दिसम्बर, 2021 के साथ-साथ, डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में महत्वपूर्ण उपलब्धियों/पहलों को दर्शाते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था।

iv. दिनांक 28.12.2021 को नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) डॉ. जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (लबासना), क्षमता विकास आयोग (सीबीसी), सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीसीजी) और प्रशिक्षण प्रभाग के साथ द्वितीय चिंतन सत्र आयोजित किया गया।

V. केन्द्रीय सेवाओं के मुद्दे

क. दिनांक 08.12.2021 के आदेश सं. 24/07/2021-सीएस-I (पी) के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय में सीएसएस में 36 पदों तथा सीएसएसएस में 28 पदों के संवर्गीकरण के संबंध में आदेश जारी किया गया।

ख. भर्ती वर्ष 2016 और 2017 के सीधी भर्ती सहायक अनुभाग अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता संबंधी मसौदे को क्रमशः दिनांक 15.12.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/14/2021-सीएस-I (ए) और दिनांक 22.12.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/15/2021-सीएस-I (ए) के माध्यम से जारी किया गया।

VI. सतर्कता निकासी

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 57 अधिकारियों की विभिन्न उद्देश्यों यथा पैनलीकरण, अंतरसंवर्गीय प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, परिवीक्षा, इत्यादि के लिए सतर्कता निकासी जारी की गई।

VII. लोकपाल

लोकपाल (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियमावली, 2021 को दिनांक 30.12.2021 को अधिसूचित किया गया।

VIII. विशेष अभियान

दिसम्बर, 2021 के दौरान, 1573 लोक शिकायतों का निपटान किया गया और रिकॉर्ड प्रबंधन के भाग के रूप में 914 फाइलों की समीक्षा की गई। अन्य संदर्भों के संबंध में, सभी तीनों अंतरमंत्रालयी मंत्रिमंडल संदर्भों तथा एक लंबित सांसद संदर्भ का निपटान किया गया।

IX. कल्याण

(i) कल्याण प्रभाग ने दिनांक 22.12.2021 को स्पोर्टस ग्राउंड, विनय मार्ग में भारत सरकार की महिला कर्मचारियों के लिए पहले महिला खेल समागम- "नारी समागम एंव स्पर्धा" का आयोजन किया। समारोह का उद्घाटन, सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, सचिव, खेलकूद द्वारा किया गया और इसने 600 (लगभग) महिलाओं द्वारा विभिन्न खेलों जैसे, क्रिकेट, वॉलीबॉल, पावर लिफ्टिंग, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन इत्यादि में प्रतिभागिता द्वारा जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त की। मध्याह्न भोजन के दौरान,

प्रतिभागियों का सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही प्रदर्शित एक छोटे नाटक-मैरिज ब्यूरो द्वारा मनोरंजन किया गया। सुश्री लवलीना बोरगेन, ओलम्पियन द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

(ii) दिसम्बर, 2021 के प्रथम सप्ताह में आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में समाज के वंचित वर्ग के लिए कपड़े एकत्रित करने और बांटने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में "संचय" पहल का आयोजन किया गया। लगभग 1500 किग्रा वस्त्र एकत्रित किए गए जो वितरण के लिए एनजीओ भेजे गए। एकत्रित समान के वितरण को माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) द्वारा झंडी दिखाई गई।